भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 608

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

उत्तर प्रदेश को एआईबीपी के अंतर्गत निधियां

608. श्री रमाशंकर राजभरः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत निधियां आबंटित करने के लिए सरकार द्वारा क्या दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्यों को अन्य राज्यों की तुलना में कम धनराशि आबंटित की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (घ): पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत किसी परियोजना को इस स्कीम के तहत शामिल करने के समय केंद्रीय सहायता केवल सिंचाई और पेयजल के कार्य घटकों की शेष लागत के अनुपातिक वित्तपोषण तक ही सीमित होती है।

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी परियोजनाओं के लिए नवीनतम दिशानिर्देश https://pmksy-mowr.nic.in/aibp-mis/Manual/Guidelines_PMKSY_AIBP_National_Projects_%202022.pdf पर उपलब्ध हैं।

वर्ष 2016-17 के दौरान, राज्यों के साथ परामर्श करते हुए प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) के तहत शामिल करने के लिए 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चल रही निन्यानवे (99) प्रमुख/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं (एमएमआई) (और 7 चरण) को चुना गया है। इसके अलावा, वर्ष 2021-26 के दौरान, पीएमकेएसवाई के कार्यान्वयन को जारी रखने के अनुमोदन के बाद, 7 राज्यों में नौ परियोजनाएँ, पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत शामिल की गई हैं।

इसके अलावा, दिशानिर्देशों के अनुसार, परियोजना द्वारा की गई प्रगति और एक वित्तीय वर्ष में उस परियोजना के लिए राज्य द्वारा प्रदान किए गए बजटीय आवंटन के आधार पर ही परियोजनाओं को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

उत्तर प्रदेश की चार (4) परियोजनाओं को पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत शामिल किया गया है। अप्रैल 2016 से इन परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के रूप में 1,421.82 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

*****